

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

केस नं. बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण
 मु.नं. 29 वर्ष 2015
 मुकदमा इजराय

दिनांक	आज्ञा - पत्र
10/10	<p>वकील प्राथीगण/डिक्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 152/2014 (पुराना नं. 156/2010) बतनवान केशर आदि बनाम पतारी आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 29.09.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोव, जिला सीकर</p>
17/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथीगण/डिक्रीदार उप.। पत्रावली वास्तु ई० रिपोर्ट डि० 21/11/25 का पेश हो।</p>
21/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथीगण/डिक्रीदार उप.। पत्रावली वास्तु ई० रिपोर्ट डि० 17/12/25 का पेश हो।</p>
17/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथीगण/डिक्रीदार उप.। प्रकरण इजराय में वर्णित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रावली: भू.अ.।25/4186 डि० 17/12/25 के तहत पालना की मांग पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में भागे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही का इसी तह पर ड्रॉप ही जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमाड लोक बाह तकमिल दाखिल है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोव जिला-सीकर</p>

